SHRI VIREN J. SHAH (Maharashtra): Madam, I also want to associate myself with Smt. Sarala Maheshwari on the improper functioning of the ONGC.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to make an announcement. Wait a minute Mr. Viren Shah. It might make you happy because as soon as she started to speak, I got a message which I want to announce. Shri B. Shankaranand, Minister of Petroleum and Natural Gas, would like to make a *suo motu* statement on the recent discoveries of oil and natural gas by the Oil and Natural Gas Commission in Rajya Sabha today, the 6th August, 1991..

SOME HON. MEMBERS: At what time?

THE DEPUTY CHAIRMAN: The time allotted is 5.30 P.M. *(interruptions)*..I hope there is enough oil in Rajya Sabha to run the machinery properly..

SHRI VIREN J. SHAH: Madam, discovery is not the only thing The proper function of the ONGC is to see that oil is properly exploited.

THE DEPUTY CHAIRMAN: This you might tell him when he comes over here. Shri Syed Sibtey Razi.

Increasing incidents of ragging in Colleges

श्री सैयद सिब्ते रजी (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, जो भी तालेबिल्म रहा है और जिसने किसी भी युनिवर्सिटी या कालेज में तालीम हासिल की है, वह जानता है कि रैगिंग की परम्परा बहुत अर्से से चली आ रही है और शुरू में हमारा तजुर्बा है कि हल्की-फुल्की इंट्रोडक्शन हुआ करती थी, कुछ हल्का-फुल्का मजाक हुआ करता था, और तालेबिल्म, विद्यार्थी एक-दूसरे से परिचित हो जाया करते थे, लेकिन धीरे-धीरे कुछ सालों में अगर आप देखें तो रैगिंग की परम्परा जो है, वह हमारे विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिये एक बहुत मसला बन गई है।

कहीं-कहीं तो इस रैगिंग के कारण-वश बहुत सख्ती का सामना विद्यार्थियों और तालेबिल्मों को करना पड़ता है और किसी किसी जगह तो यह अश्लीलता की हद तक पहुंच जाता है। यह समस्या किसी विशेष विद्यालय या विश्वविद्यालय की नहीं है। मगर पूरे भारत में अगर आप देखें तो कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में यह चीज गलत रास्ते पर जा रही है और अफसोस तो उस वक्त होता है जब हमारी यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों के जिम्मेदार लोग जो हैं, वह इसको गलत रास्ते पर जाने से रोकने का कोई प्रयास या कोशिश करते हुये दिखाई नहीं देते हैं।

अभी हाल में ही दिल्ली के रामजस कालेज में एक फस्ट इयर की जो स्टूडेंट थी उसको मैल स्टूडेंट्स जबर्दस्ती उठा कर अपने हास्टल में ले गये जबकि होस्टल के अन्दर लड़कियों का जाना मना है।

महोदया, यह एक ऐसी दुर्घटना है जिससे कि हम सभी के सिर शर्म से झुक जाते हैं। महोदया, इस हादसे से उस फर्स्ट इयर की विद्यार्थी की दिमाग की कैफ़ियत यह हुई कि उसने कालेज जाना बंद कर दिया है। कुछ मेल स्टूडेंटस ने उसको वहां ले जाकर उसके साथ बदतमीजी की। यहां तक कि उसको अपना लिबास उतारने के लिए मजबूर किया। ऐसी शर्मनाक घटना पर फौरन हमारे विश्वविद्यालय के लोगों और प्रिंसिपल को एक्शन में आना चाहिए था। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाकर इस तरह का दुर्व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन अफसोस है कि हमें प्रेस के जरिए मालूम हुआ कि इस सिल-सिले में अभी तक प्रिंसिपल ने इस

संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं लिखवायी है। यूनिवर्सिटी के डाक्टर्स वगैरह भी इस बारे में खामोश हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी कांटैक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने भी इस वाक्ये में अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। महोदया, हालांकि यह चीज प्रिंसिपल को मालूम है और मैं समझता हूं कि किसी-न-किसी सूत्र से जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स हैं, उनको भी यह बात पहुंची होगी, लेकिन पता चलता है कि इस सेंसिटिव इश्यू के ऊपर हम कितने अन-कनसर्न्ड हैं।

महोदया, मेरी सरकार से मांग है कि वह इस सिलसिले में क्राइम विभाग से जांच कराएं और जो स्टूडेंट्स इस मामले में दोषी पाए जाते हैं उन्हें रेस्टीकेट किया जाए और सभी विश्वविद्यालयों के अंदर, जितने भी एफ़िलिएटिड कालेजेज हैं और विश्वविद्यालय हैं, उनमें एक ऐसा वातावरण बनाया जाए कि हमारी बहनों और बच्चियों की इज्जत व आबरू महफूज रह सके और वे इज्जत से सिर उठाकर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जा सकें।

महोदया, एक तरफ तो हम नारी एकता और समानता की बात करते हैं और दूसरी ओर ऐसे मामलात में सख्त कदम नहीं उठाते। मैं समझता हूं कि गृह मंत्रीजी इस ओर ध्यान देंगे और हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री जी तमाम विश्वविद्यालयों और विद्यालय को इस बारे में पत्र लिखेंगे ताकि रैगिंग की इस कुप्रथा को समाप्त किया जा सके। महोदया, इस पर शुरू साल से ही प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जानी चाहिए क्योंकि जुलाई और अगस्त के दो महीने पूरी तरह रैगिंग के चक्कर में निकल जाते हैं और कहीं कहीं तो इसका इतना खराब अंजाम देखने में आता है कि कुछ बच्चों को सुसाइड तक करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ऐसी गंभीर परिस्थिति पर फौरन ध्यान देगी। महोदया यह कह देने से छुट्टी नहीं मिलेगी कि विश्वविद्यालय और विद्यालय आटोनोमस बॉडीज हैं, स्वायत्त संस्थायें हैं, इसलिए हम इंटरवेंशन नहीं कर सकते। महोदया, अगर हमारे सामाजिक अकदार गिरते हैं, हमारी वेल्यूज पर वार होता है तो हमें अपने दायित्वों को निभाने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए।

महोदया, माननीय जवाहर लाल जी ने एक बार कहा था कि अगर किसी समाज में मूल्यों और कीमतों को आंकना है तो वहां के विश्वविद्यालयों और विद्यालयों को देखो। महोदया, आज एक बड़ा सवालिया निशान हमारे विश्वविद्यालयों और विद्यालयों के सामने खड़ा हो गया है। हमें अपनी अकदार को बचाने के लिए इस रैगिंग की प्रथा को रोकना होगा और इस आयसोलेटेड मामले को आयसोलेटेड न समझकर इसको एक उदाहरण मानकर इस पर सख्ती से कदम उठाने होंगे ताकि जो स्टूडेंट्स के गार्ब में एंटी सोशल एलीमेंट्स हास्टल्स के अंदर बैठे हुए हैं, उनको वहां से बचाया जा सके। महोदया, हमारे यहां हास्टल्स की कंडीशन बहुत खराब हो गयी है। हमारे लखनऊ के अंदर एक हास्टल... (**व्यवधान**)...

उपसभापति : सिब्ते रज़ी साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और मुझे खुशी है कि हमारी यूथ की मिनिस्टर यहां बैठी हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखती हैं। मुझे उम्मीद है कि पूरा हाउस इस मुद्दे पर यूनाइटेड है। माल्वे साहब बोलना चाहते हैं। सभी लोग यूनाइटेड हैं कि सरकार इस बारे में कुछ कदम उठाए... (**व्यवधान**)... पूरा हाउस इस बात से संबद्ध है।

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : महोदया, पूरा हाउस इसके साथ है। महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि (**व्यवधान**)... उसकी जांच की जानी चाहिए और जिस लड़के को दोषी पाया जाय, उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए क्योंकि दिल्ली जो कि एक सभ्य सिटी मानी जाती है और यहां लोग पढ़ने और पढ़ाने आते

[श्री शंकर दयाल सिंह]

है, अगर दिल्ली में इस तरह से अमानवीय कार्य होता है... (व्यवधान) ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let Salve Sahib also say. I will allow you. (*Interruptions*)...

SHRI N. K. P. SALVE (Maharashtra): Madam, as I read in the morning... (*interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is also rising in the same matter. I will allow you. (*Interruptions*)..

श्री शंकर दयाल सिंह : कु० ममता बनर्जी जी इसके ऊपर कुछ कहें।... (व्यवधान) ...

SHRIMATI KAMLA SINHA (Bihar): Madam, I want that the Government should bring forward a stringent law banning ragging and in this particular instance whoever is the culprit, whoever is found guilty, must be punished, must be rusticated from the college immediately. A stringent Bill should be introduced in this House.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is a law against eve-teasing. That is quite enough. It can be included in that.

SHRI N.K.P. SALVE: Madam, I maintain that our laws are adequate. But the difficulty is under the name of ragging if this kind of depravation, if this kind of debasement, this kind of barbarity, cruelty, is to be perpetrated against our daughters and grand-daughters, it is a tragic society we are living in. I would implore of the Home Minister to react to it. This is the worst kind of a sin against the society. I would like to know—if the reports are correct—how soon the people, the miscreants, are likely to be arrested and the matter reported to the Parliament.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S.B. CHAVAN): I will have to collect the information. I don't have any information at this stage wtth me. I will specially pass on this information to the Minister of HRD...

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Miinister of State is here.

SHRI S. B. CHAVAN: She won't be able to react immediately. Ultimately she will have to collect all the information...

THE DEPUTY CHAIRMAN: We are saying that she should take note of it and come back to the House with proper information.

SHRI N.K.P. SALVE: Thank you, Madam.

मानव संसाधन विकास (युवा कार्य और खेल विभाग) मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार) (कु० ममता बनर्जी) : मैडम मामला बहुत गंभीरता का है और इसमें आपकी भी तथा हाउस की भी सहमति है। मैं जरूर अर्जुन सिंह जी को, जिनके डायरेक्ट चार्ज में एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनको बताऊंगी और यह मैं हाउस को आश्वासन दे रही हूं कि इस पर जो भी गवर्नमेंट को करना है, गवर्नमेंट जरूर करेगी क्योंकि यह मामला सब का मामला है ऐसा नहीं होना चाहिए।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

SHRI N.K.P. SALVE: It is fairly in the realm of the Home Ministry and I do take it that the assurance is by the Home Minister. It is a criminality *simpliciter*.... (*interruptions*) what I would like to say is it a complaint against a criminal act. I appreciate very much the support given by the Minister of State for Youth Affairs and Human Resource Development

Here is an act, an act of the worst kind of criminality *simpliciter* and I would implore of the Home Minister to ask the department to look into it and report to the House as soon as possible.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He said he would get the facts, find out the facts. Let him collect the facts.

AN HON. MEMBER: We are adjourning tomorrow.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If there is no sitting of the House, let him first collect the facts...

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): He has to collect information only from one college in Delhi in this particular case. I don't think it takes long. He can get the information today and give us a statement tomorrow.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now I call the next special mention. Shri Som Pal.

MISS SAROJ KHAPARDE (Maharashtra): Madam Deputy Chairman, I want to say something about eve-teasing..

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please wait a minute, Mr. Som Pal. The lady Member has something to say about eve-teasing.

MISS SAROJ KHAPARDE: I agree with the sentiments expressed by the whole House. We are discussing about eve-teasing in colleges. What about the eve-teasing in the House? Mr. A.G. Kulkarni always behaves like that. What about that? We need protection...

THE DEPUTY CHAIRMAN: From ragging in the House!

MISS SAROJ KHAPARDE: Will the honourable Minister give us an assurance?

THE DEPUTY CHAIRMAN: You cannot make an allegation when the Member is not present.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): This is a case to be sent to the Privileges Committee.

THE DEPUTY CHAIRMAN: About ragging in the House itself!

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I hope you don't make a complaint against the Members.

Dowry Death of a young girl in village Mohammadpur Mordan Muzaffarnagar District, Uttar Pradesh

श्री सोमपाल (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन का और केन्द्रीय सरकार का ध्यान एक अत्यन्त ही दुखद और हृदय-विदारक घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे गांव की बेटी, एक लड़की, जिसका नाम मंजू था, मुजफ्फरनगर जिले के गांव मोहम्मदपुर मोरडन में उसका विवाह हुआ था। उसकी ससुराल वालों की दहेज की मांग पूरी न होने के कारण 11 जुलाई की रात को उसको जलाकर मार दिया गया। इस घटना के समय उसके पति नरेश, उसकी सास बलबीरी, उसके ससुर सूबेसिंह और उसका एक देवर सुधीर, चारों मौजूद थे। सबने पकड़कर उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का और उस युवती को जला दिया।

महोदया, उस लड़की की शादी जून, 1988 में उस गांव में हुई थी और उसके बाद से लगातार उसकी ससुराल वाले दहेज की मांग करते आ रहे थे। दिसम्बर, 1990 को उसने एक पुत्री को जन्म दिया। उस समय वह कुछ बीमार हुई और उसके इलाज के लिए